बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक- प्र0-7-वि0प0 (आश्वा0)-12/2012- 387 खाद्य, पटना/दिनांक- 20/1/2012

प्रेषक,

जयशंकर प्रसाद यादव
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- जन वितरण प्रणाली की दुकानों के निलम्बन के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि पी0डी0एस0 कान्ट्रोल आर्डर- 2001 में जन वितरण प्रणाली की दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा अनियमितता बरते जाने अथवा अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंधन किये जाने की स्थिति में अनुज्ञप्ति के निलम्बन/रद्द करने का प्रावधान किया गया था । अनुज्ञप्ति निलम्बन की अधिकतम अवधि 90 दिन निर्धारित की गई थी । इस बीच निलम्बन से संबंधित अभिलेखों को जिला चयन समिति को भेजकर इसका अनुमोदन प्राप्त करने का भी प्रावधान था । इस प्रावधान के अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली की दुकानों को निलम्बित किया गया था । परन्तु निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत इनका अन्तिम रूप से निष्पादन नहीं होने के कारण जिलों में निलम्बित दुकानों की संख्या बढ़ जाने के कारण उपभोक्ताओं को सामग्री उपलब्ध कराने में भी कठिनाई महसूस की गई । साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय में भी बहुत से मामले दायर हुए जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिकूल टिप्पणियाँ अंकित की गई । विधान परिषद में भी माननीय पार्षदों द्वारा लम्बी अवधि तक दूकानों के निलम्बित रहने संबंधी मामला उठाया गया जिस पर राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जाँचोपरान्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया । उक्त आश्वासन का कार्यान्वयन प्रतिवेदन राज्य सरकार की ओर से समर्पित किया जाना है । इन्हीं परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा पी0डी0एस0 कंन्ट्रोल आर्डर में संशोधन करते हुए दिनांक- 23.06.2011 से निलम्बन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है । परन्तु इस आदेश से पूर्व निलम्बित दुकानों के संबंध में कई जिलों से मार्ग निर्देश की मांग की गई है । इस संबंध में विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया । विधि विभाग ने अपने परामर्श में यह स्पष्ट किया है कि संशोधन का प्रभाव भूतलक्षी नहीं होगा । उक्त परामर्श आपको पूर्व में हीं उपलब्ध कराया जा चुका है ।

अतः ऐसी स्थिति में दिनांक- 23.06.2011 के पूर्व निलंबित दुकानों के सम्बन्ध में निम्न कार्रवाई अपेक्षित है :-

1. जिन दुकानों के विरूद्ध 7 EC के अन्तर्गत मामले दर्ज नहीं हैं उनकी अनुज्ञप्ति के निलम्बन को अविलम्ब समाप्त किया जाय तथा उक्त दुकानों का आवंटन चालू किया जाय ।

2. जिन मामलों में 7 EC के मामले दर्ज हैं उनमें न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा की जाय ।

3. दिनांक- 23.06.2011 के बाद किसी भी परिस्थिति में अनुज्ञप्ति को निलम्बित नही की जानी है ।

कृपया सभी अनुमंडल पदाधिकारी को तद्नुसार कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया जाय एवं कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराते हुए एक प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में 15 दिनों के अन्दर भेजने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र07-ज0वि0प्र0- 05/2009 748 खाद्य,पटना/दिनांक- 4·2·2011

प्रेषक,

त्रिपुरारि शरण
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषयः- जन वितरण प्रणाली की दुकानों की अनुज्ञप्ति रद्द करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि वर्त्तमान में अनुमंडल पदाधिकारियों के द्वारा जन वितरण प्रणाली की दुकानों के द्वारा अनियमितता बरतने एवं अनुज्ञप्ति की शर्तो के उल्लंघन के मामले में दुकानों की अनुज्ञप्ति पहले निलंबित की जाती है एवं उसके बाद जिला चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में अनुज्ञप्ति रद्द की जाती है । माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा ऐसे अनेक मामलों में अनुज्ञप्ति निलंबन के बाद रद्द करने की कार्रवाई पी0डी0एस0 कन्ट्रोल ऑर्डर- 2001 की धारा- 7(ii) एवं 7(v) के विपरीत मानते हुए रद्द करने संबंधी आदेश को अवैध करार दिया गया है । जिस कारण जन वितरण दुकानदारों को अनुचित लाभ मिल जा रहा है । यहाँ उल्लेखनीय है कि पी0डी0एस0 कन्ट्रोल ऑर्डर 2001 की धारा- 7(i) में माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा पी0यू0सी0एल0- 196/2001 में पारित आदेश के अनुसार कुल पाँच प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर अनुज्ञप्ति को रद्द करने का प्रावधान किया गया है । अतः इस प्रकार की अनियमितता प्रमाणित होने पर जन वितरण दुकानदार की अनुज्ञप्ति निलंबित नहीं कर उनसे कारणपृच्छा पूछ कर उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई करने का निदेश सभी अनुमंडल पदाधिकारी -सह- अनुज्ञापन पदाधिकारी को दिया जाय । ऐसे मामलो के अभिलेख को जिला चयन समिति में अनुमोदन हेतु भेजने की कोई बाध्यता नहीं रहेगी ।

अनुरोध है कि अपने जिले में जन वितरण दुकानदारों की जाँच सघन रूप से करायी जाय एवं अनियमितता के मामले में उपर्युक्त निदेश के आलोक में अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,
3/2011
प्रधान सचिव ।

D:\Year 2011\Sec-7\P.D.S.doc

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र07-विविध(पैक्स)-04/2012- 854 /खाद्य, पटना/दिनांक-13/2/2012

प्रेषक,

जयशंकर प्रसाद यादव,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश- 2001 में हुए संशोधन के आलोक में जन वितरण प्रणाली की नयी अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु पैक्सों के पास पूंजी उपलब्धता के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्र संख्या- 5875, दिनांक- 05.12.2011 के द्वारा यह अनुरोध किया गया कि कारोबार संचालन हेतु पैक्सों के पास पूंजी उपलब्धता के संबंध में Cut off तिथि 31.07.2011 प्रासंगिक नहीं रह गया है । इसलिए नयी अनुज्ञप्ति हेतु पैक्सों को आवेदन की तिथि तक अगर एक लाख की राशि उपलब्ध होगी तो वैसे पैक्सों का आवेदन विचारणीय हो ।

(2) विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में जिन पैक्सों को अनुज्ञप्ति दी जानी है, उनके खाते में आवेदन की तिथि को कम-से-कम 1,00,000/- (एक लाख) रूपये की पूँजी उपलब्ध रहनी चाहिए ।

विश्वासभाजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र07-ज0वि0प्र0-05/09- 1023 /खाद्य, पटना/दिनांक- 16/2/20

प्रेषक,

जयशंकर प्रसाद यादव,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश- 2011 संबंधी निर्गत विभागीय अधिसूचना, ज्ञापांक- 5738, दिनांक- 26.06.2011 के निर्गत होने के पूर्व अनुकम्पा के आधार पर जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति देने के संबंध में मार्ग-निदेश ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में स्पष्ट करते हुए कहना है कि सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश- 2011 संबंधी निर्गत विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक- 5738, दिनांक- 26.06.2011 के निर्गत होने के पूर्व अर्थात् 23.06.2011 से पूर्व के मृत्यु के मामलों में संशोधन आदेश प्रभावी नहीं होगा यानि 55 (पचपन) वर्ष की आयु सीमा संबंधी बंधेज लागू नहीं होगा । तद्नुसार लंबित मामलों का निस्तार करने की कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- प्र07-ज0वि0प्र0-05/09- 1023 /खाद्य, पटना/दिनांक- 16/2/20

प्रतिलिपि- सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

16/2/12

D:\Year 2011\Sec-7\P.D.S.doc

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र07 वि0प0(आश्वा0)12/2012 1911 /खाद्य, पटना/दिनां

प्रेषक,

जयशंकर प्रसाद यादव
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- जन वितरण प्रणाली के दुकानों की अनुज्ञप्ति को निलम्बन से करने के संबंध में ।

प्रसंग :- पत्रांक-प्र07-वि0प0(आश्वा0)12/2012-387/खाद्य, पटना /दि 20.01.2012

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के प्रसंग में स्पष्ट कि जाता है कि जन वितरण प्रणाली की दुकानों के निलंबन के उपरान्त निलम्बन मुक्त अथवा रद्द करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वा सी0डब्लू0जे0सी0नं0- 5418/2009 में निम्नलिखित आदेश पारित किये गये है :-

Thus once a licence after hearin is suspended, two things flow. One, the su pension would automatically stands revoked on expiry of ninety days and second, it has to be sent within fifteen days by the licensing authority to the District Selection Committee who may pass an order revoking the suspension at an earlier date itself. Beyond this there is no authority either on the Licensing Authority or the District Selection Committee to change a suspension into cancellation.

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में PDS Control Order में हुए संशोधन (23.06.2011) के पूर्व निलंबन के वैसे मामले जिनमें 7/EC के अन्तर्गत न्यायालय में मामला लंबित नहीं है, निलम्बन की अवधि 90 दिनों से अधिक हो जाने के कारण निलम्बन से स्वतः मुक्त समझे जायेंगे ।

अतः ऐसे मामलों में माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के आलोक में कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।